विवेकानन्द (प्रा.) आई.टी.आई.
जबरा रोड, कोर्रा, हजारीबाग।

प्रस्तावना

भारतीय रेलवे में लोको पायलेट, टाटा स्टील, एन.टी.पी.सी., सेल, भेल, ओ.एन. जी.सी., सी.सी.एल., एवं अन्य संस्थनों एवं औद्योगिक इकाइयों में इलेक्ट्रीशियन एवं फिर की जरूरत बढ़ रही है। इसें नियुक्ति हेतु एक अच्छे प्रशिक्षण संस्थान की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विवेकानन्द (प्रा0) आई.टी.आई. में योग्य एवं अनुभवी इंजिनियरों एवं अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। कुशल कामगार बनकर देश, समाज एंव परिवार की सच्ची सेवा करने हेतु युवकों में तकनीकी ज्ञान के साथ–साथ मानव मूल्यों की शिक्षा, मनुष्य निर्माण एवं चरित्र–निर्माण की शिक्षा देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के दौरान इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

संस्थान का प्रशिक्षण

इस संस्थान का प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित एन0सी0भी0टी0 के नियमों/नॉर्म्स के अनुसार चलाया जाता है तथा झारखण्ड के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से संचालित संस्थान के सभी कार्यो का प्रशासनिक निष्पादन किया जाता है।

प्रशिक्षण कुशल एवं योग्य अनुदेशकों द्वारा दिया जाता है।

सत्र संस्थान में प्रशिक्षण का सत्र प्रत्येक वर्ष के अगस्त माह से प्रारम्भ होता है। वर्तमन में संस्थान में विभिन्न व्यवसायों/पाठ्यक्रमों को विवरण इस प्रकार है:–

क्रमांक	व्यवसाय
(1)	इलेक्ट्रीशियन
(2)	फिटर

नामांकन हेतु योग्यता:

मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आरक्षण:

झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जाता है।

आयु सीमा:

नामांकन के लिए प्रशिक्षण सत्र के पहली अगस्त को कम से कम 14 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होना चाहिए।

नामांकनः

भारत सरकार के नियमानुसार संस्थान के विहित प्रपत्र में नामांकन के लिए आवेदन पत्र देना होगा जो संस्थान में निर्धारित शुल्क भुगतान करने पर उपलब्ध होगा। नामांकन हेतु मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं लिखित/मौखिक परीक्षा के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाता है।

शुल्कः

संस्थान का शुल्क निम्न प्रकार होगाः—

क्र. सं.	शुल्क	एक वर्ष का शुल्क	दो वर्ष का शुल्क
01	नामांकन शुल्क		200.00
02	वार्षिक शुल्क 1250/— PM	15000.00	30000.00
03	पुस्तकालय शुल्क		300.00
04	पहचान पत्र शुल्क एवं डायरी		150.00
05	मासिक जाँच परीक्षा शुल्क		2000.00
06	खेल कुद एवं अन्य शुल्क		350.00
	योग		33000.00
	अन्य स्पेशल शुल्क (इन्डशट्रीयल सुविधा)		2500.00
	कुल योग		35500.00

पंजीयनः

भारत सरकार (NCVT) से प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों का पंजीयन कराना होगा।

संस्थान के सामान्य नियम

1. संस्थान में भारत (NCVT) द्वारा निर्धारित सिलेबस के नियमानुसार प्रशिक्षण दिया जाता है।
2. संस्थान का सत्र प्रत्येक वर्ष के अगस्त माह से चलता है और संस्थान का परीक्षा सरकार द्वारा निर्धारित समय पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से संचालित परीक्षा केन्द्र तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि पर होती है।
3. संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को अनुशासित रहना होगा। नियम के उल्लंघन करने पर संस्थान में निकाल दिया जाएगा, इस अवस्था में काई भी भुगतान किया हुआ शुल्क की राशि वापस नहीं होगा।
4. नामांकन के बाद एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड से दूसरे ट्रेड में स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा और न शुल्क में कोई बदलाव किया जाएगा।
5. संस्थान का मासिक शुल्क प्रत्येक माह के पहली से 10वीं तारीख तक लिया जाएगा। समय शुल्क जमा नहीं करने पर अगले माह 50 (पचास रूपया) प्रति माह विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना पड़ेगा। अगले तीन माह तक अगर फीस नहीं जमा किया गया तो उस परिस्थिति में नाम काट दिया जाएगा।
6. किसी भी हालत में कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी शुल्क एक प्रशिक्षणार्थी से दूसरे प्रशिक्षणार्थी के नाम पर बदला नहीं जाएगा।
7. अगर प्रशिक्षणार्थी किसी भी कारण से बीच में ही लिखित या अलिखित प्रशिक्षण का कार्य छोड़ना है उस स्थिति में कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।?
8. प्रशिक्षणार्थीयों को अगर कोई कठिनाई या कोई शिकायत हो तो संस्थान के प्राचार्य से निःसंकोच कह सकता है।
9. प्रशिक्षणार्थीयों का संस्थान में 80% उपस्थिति नहीं करने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। सभी ट्रेडों के सभी प्रशिक्षणार्थीयों को सिलेबस तथा रूटिन का पालन संस्थान के नियमानुसार करना पड़ेगा।

10. ऐसे प्रशिणथार्थी जो मासिक शुल्क देने में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इस परिस्थति में संस्थान के सहायता कोष से उसकी मदद भी की जाएगी जिससे उसे प्रशिक्षण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसकी ठोस जानकारी संस्थान से प्राप्त किया जा सकता है।

11. नामांकन के समय प्रशिणार्थीयों का शारीरिक जाँच चिकित्सक द्वारा कराया जाता है और स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टिकोण से समय–समय पर जाँच कराया जाता है।

12. प्राकृतिक आपदाओं तक विशेष परिस्थिति में संस्थान बन्द रहती है। संस्थान झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित छुटि्टयों के अनुसार ही बन्द रहता है।

13. सभी ट्रेडों के लिए उपकरणों से सजी कर्मशाला की व्यवस्था में प्रशिणार्थी अपने–अपने ट्रेडों का प्रैक्टिकल नियम तथा समयानुसार करते हैं।

14. हर तरह के मनोरंजन की सुविधा संस्थान में उपलब्ध है। प्रशिणार्थियों को स्वास्थ्य एवं, मनोरंजन के लिए खेल–कूद की व्यवस्था है।

15. संस्थान मं दैनिक पत्रिका एवं हर प्रकार के मैगनिज की व्यवस्था की गई है।

16. पुस्तकालय की व्यवस्था संस्थान में है, जिसमें सभी ट्रेडों तथा गैर ट्रेडों की पुस्तके उपलब्ध है जिससे प्रशिक्षणार्थी अपने ट्रेड से बाहर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं तथा संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े अपने प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क पढ़ने के लिए पुस्तके प्रदान करती है। जिससे प्रशिक्षण में कठिनाई न हो सके।

17. प्रशिक्षणार्थियों को पूरे प्रशिक्षण सत्र में कुल 24 दिन (प्रथम वर्ष 12 दिन तथा द्वितीय वर्ष 12 दिन) आकस्मिक छूट्टी देय होगा। प्रति वर्ष 15 दिन मेडिकल लीव सुविधा दी जाती है। पूरे सत्र में केवल एक बार विशेष मेडिकल लीव 42 दिन तक दी जा सकती है।

18. आरक्षण कोटि के प्रशिणार्थियों को संस्थान के अध्ययन से जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय द्वारा छात्रवृति भी उपलब्ध है।

प्रशान्त प्रियदर्शी
सचिव
विवेकानन्द (प्रा.) आई.टी.आई.

गजानन्द पाठक
अध्यक्ष
विवेकानन्द (प्रा.) आई.टी.आई.